गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 345
दि. 18.04.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

तनाव के साये में 'सीक्रेट' कूटनीति, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाक के बीच 4 गुप्त बैठकों का खुलासा

नई दिल्ली में कूटनीतिक हलकों में उस समय हलचल तेज हो गई, जब एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार गुप्त बैठकें हो चुकी हैं। यह बैठकें ऐसे समय में हुईं, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक संवाद लगभग पूरी तरह ठप हो गया था और रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संवाद के रास्ते को पूरी तरह बंद होने से बचाना था। हालांकि, चूंकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव चरम पर था, इसलिए इन वार्ताओं को सार्वजनिक न कर गुप्त रूप से आयोजित किया गया। कूटनीतिक भाषा में इसे 'ट्रैक 1.5' और 'ट्रैक 2' संवाद कहा जाता है, जो औपचारिक वार्ता के ठहर जाने पर बैक-चैनल के तौर पर काम करते हैं।

इन बैठकों का आयोजन अलग-अलग देशों में किया गया, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। पहली बैठक लंदन में हुई, जिसे काफी 'तीव्र' और तनावपूर्ण बताया गया। इसमें पाकिस्तान की ओर से सेवारत सैन्य अधिकारी भी शामिल थे, जबकि भारत की ओर से कोई सक्रिय सरकारी प्रतिनिधि नहीं भेजा गया था। यह संकेत देता है कि उस समय दोनों देशों के बीच अविश्वास का स्तर कितना गहरा था।

बताया गया है कि इन बैठकों में से दो 'ट्रैक 1.5' श्रेणी की थीं, जिनमें सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों

के साथ-साथ रणनीतिक विशेषज्ञों और सांसदों ने भाग लिया। इनका आयोजन International Institute for Strategic Studies जैसे प्रतिष्ठित थिंक टैंक द्वारा किया गया। ट्रैक 1.5 कूटनीति को आधिकारिक और अनौपचारिक संवाद के बीच का माध्यम माना जाता है, जहां सरकार से जुड़े लोग सीधे तौर पर शामिल तो होते हैं, लेकिन यह बातचीत औपचारिक सरकारी वार्ता का हिस्सा नहीं मानी जाती।

वहीं, बाकी दो बैठकें 'ट्रैक 2' के तहत हुईं, जिनमें गैर-सरकारी संगठनों, थिंक टैंकों और स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भाग लिया। ट्रैक 2 कूटनीति का मुख्य उद्देश्य आपसी समझ विकसित करना और संवाद के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना होता है। यह अक्सर उन परिस्थितियों में उपयोगी साबित होती है, जब दोनों देशों के बीच आधिकारिक बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी हो।

रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी बैठक अक्टूबर 2025 में ओमान की राजधानी मस्कट में हुई, जहां बातचीत अपेक्षाकृत संयमित रही। तीसरी बैठक दिसंबर में थाईलैंड में आयोजित की गई, जिसमें भारतीय और पाकिस्तानी थिंक टैंकों ने मिलकर चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इन बैठकों में मुख्य रूप से तनाव कम करने, संवाद बहाल करने और संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर विचार किया गया।

सबसे हालिया बैठक इस वर्ष फरवरी में दोहा में आयोजित की गई थी। यह भी ट्रैक 2 कूटनीति के तहत हुई, जिसे ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने आयोजित कराया। सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में बातचीत पहले की तुलना में अधिक सौम्य और संतुलित रही, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष धीरे-धीरे संवाद की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

इन गुप्त बैठकों की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि 'ऑपरेशन सिंदूर' और पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। भारत ने कई कड़े कदम उठाए थे, जिनमें पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का निर्देश, अटारी सीमा को बंद करना, सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर रोक लगाना और राजनयिकों को निष्कासित करना शामिल था। इन कदमों के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और औपचारिक कूटनीतिक संपर्क लगभग समाप्त हो गए थे।

ऐसे माहौल में इन 'सीक्रेट' बैठकों को एक महत्वपूर्ण बैक-चैनल के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही ये बैठकें औपचारिक समाधान नहीं निकालतीं, लेकिन यह संवाद के दरवाजे को पूरी तरह बंद होने से बचाती हैं। कई बार ऐसे ही अनौपचारिक प्रयास भविष्य में बड़े कूटनीतिक समझौतों की नींव रखते हैं। हालांकि, इन बैठकों के प्रभाव को लेकर अभी स्पष्ट रूप से कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद, सीमा तनाव और आतंकवाद जैसे मुद्दे इतने जटिल हैं कि उनका समाधान केवल कुछ बैठकों से संभव नहीं है। फिर भी, संवाद की किसी भी पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जाता है।

यह घटनाक्रम यह भी दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों और थिंक टैंकों की भूमिका कूटनीति में लगातार बढ़ रही है। वे ऐसे मंच प्रदान करते हैं, जहां बिना राजनीतिक दबाव के खुले तौर पर बातचीत की जा सकती है।

अंततः, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ये गुप्त संवाद यह संकेत देते हैं कि भले ही सतह पर तनाव बना हुआ हो, लेकिन अंदर ही अंदर संवाद की कोशिशें जारी रहती हैं। यही कूटनीति की वास्तविकता भी है—जहां दरवाजे भले बंद दिखें, लेकिन संवाद की खिड़कियां हमेशा खुली रखने की कोशिश की जाती है।

देश के जलाशयों में 42.75% पानी, कई राज्यों में चिंता बरकरार

नई दिल्ली से जारी ताजा आंकड़ों ने देश में जल संसाधनों की मौजूदा स्थिति की एक मिश्रित तस्वीर पेश की है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, देश के प्रमुख जलाशयों की कुल भराव क्षमता इस समय 42.75% तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में कुछ बेहतर जरूर माना जा रहा है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताओं और कई राज्यों में गिरते जल स्तर ने चिंता भी बढ़ा दी है।

जलाशयों में पानी का स्तर किसी भी देश की जल सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, जलाशयों का भराव स्तर सीधे तौर पर फसलों, पेयजल आपूर्ति और बिजली उत्पादन को प्रभावित करता है। ऐसे में 42.75% का आंकड़ा संतुलित तो दिखता है, लेकिन इसके भीतर छिपी असमानताएं कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

भारतीय मौसम विभाग ने इस स्थिति के पीछे प्रमुख कारण के रूप में कमजोर मानसून और सर्दियों में कम वर्षा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले कुछ महीनों में कई हिस्सों में अपेक्षित बारिश नहीं हुई, जिससे जलाशयों में पानी का पर्याप्त संग्रह नहीं हो सका। मानसून की अनियमितता और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भी इस स्थिति को और जटिल बना रहे हैं।

क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो

पश्चिमी भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई देती है। इस क्षेत्र के जलाशयों में भराव क्षमता करीब 51.3% दर्ज की गई है। गुजरात के जलाशय लगभग 56% तक भरे हैं, जो इस क्षेत्र के लिए राहत की बात है। वहीं महाराष्ट्र में यह आंकड़ा करीब 47% है, जो औसत से थोड़ा कम होने के बावजूद पूरी तरह चिंताजनक नहीं है।

दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। कर्नाटक और तेलंगाना के जलाशयों में जल स्तर 30% से भी नीचे पहुंच गया है। यह स्थिति आने वाले महीनों में पेयजल और सिंचाई के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। यदि समय पर पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, तो इन राज्यों में जल संकट और गहरा सकता है।

मध्य भारत की स्थिति संतुलित कही जा सकती है, जहां जलाशयों की औसत भराव क्षमता करीब 50% के आसपास बनी हुई है। यह स्तर फिलहाल तो स्थिरता का संकेत देता है, लेकिन मानसून पर निर्भरता के कारण भविष्य की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।

उत्तर भारत में भी अलग-अलग राज्यों में स्थिति भिन्न-भिन्न है। पंजाब में जलाशयों का भराव स्तर करीब 68% तक पहुंच गया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। वहीं हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राज्यों में जल भंडारण अपेक्षाकृत कम है, जिससे वहां के स्थानीय जल स्रोतों पर दबाव बढ़ सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जलाशयों में पानी का यह स्तर आने वाले गर्मी के मौसम के लिए एक चेतावनी भी हो सकता है। गर्मियों में पानी की मांग तेजी से बढ़ती है, ऐसे में यदि जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं हुआ, तो कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है।

इसके साथ ही, जल प्रबंधन की चुनौतियां भी सामने आती हैं। केवल वर्षा पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं है। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और जल के समुचित उपयोग की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कई राज्यों में पहले से ही जल संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें और व्यापक और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

यह भी जरूरी है कि जलाशयों के पानी का उपयोग संतुलित तरीके से किया जाए। कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के बीच समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती है। यदि किसी एक क्षेत्र में पानी का अत्यधिक उपयोग होता है, तो अन्य क्षेत्रों पर इसका असर पड़ता है। इसलिए एक समग्र जल नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए।

अंततः, देश के जलाशयों में 42.75% पानी का स्तर एक चेतावनी और अवसर दोनों है। चेतावनी इसलिए कि कई क्षेत्रों में स्थिति अभी भी कमजोर है, और अवसर इसलिए कि अभी भी समय है कि हम जल प्रबंधन को बेहतर बनाकर आने वाले संकट से बच सकें। यदि समय रहते ठोस कदम उठाए गए, तो न केवल जल संकट को टाला जा सकता है, बल्कि देश की जल सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सकता है।

पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, लुधियाना से दिल्ली तक 13 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली और लुधियाना में शुक्रवार को उस समय हलचल मच गई, जब प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। यह कार्रवाई कई शहरों में फैले करीब 13 परिसरों पर एक साथ की गई, जिससे पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम तड़के ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सुरक्षा में विभिन्न स्थानों पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। कार्रवाई के दौरान संबंधित परिसरों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात रही, ताकि किसी प्रकार की बाधा या विरोध की स्थिति उत्पन्न न हो। अधिकारियों ने दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की, जो कथित आर्थिक अनियमितताओं से जुड़े हो सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरा मामला औद्योगिक जमीन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि कुछ कंपनियों और संस्थाओं ने औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित जमीन का इस्तेमाल आवासीय परियोजनाओं के लिए किया, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि

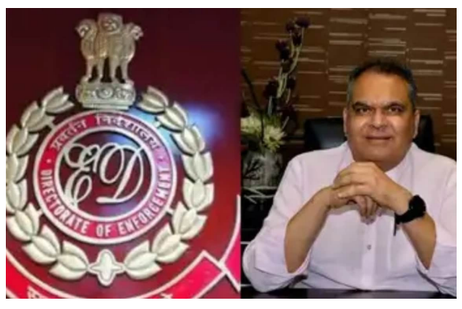

राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। जांच एजेंसियां यह भी देख रही हैं कि इस प्रक्रिया के जरिए कहीं अवैध आय तो अर्जित नहीं की गई।

यह पहली बार नहीं है जब संजीव अरोड़ा जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं। वर्ष 2024 में भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों के तहत उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय भी कई दस्तावेजों और लेन-देन की जांच की गई थी। ताजा कार्रवाई को उसी जांच की कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसमें अब नए सिरे से कुछ अहम सुराग मिलने की संभावना जताई जा रही है।

इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि चुनावी माहौल में इस तरह की छापेमारी का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि हाल के दिनों में एक विशेष पैटर्न के तहत विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

इससे पहले भी पंजाब में आप से जुड़े अन्य नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई हो चुकी है। अशोक कुमार मित्तल के परिसरों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत तलाशी ली गई थी। इन घटनाओं ने राज्य में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है, जहां एक ओर एजेंसियां अपनी कार्रवाई को कानून के दायरे में बता रही हैं, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है।

कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों की जांच के तहत आती है। एजेंसी आमतौर पर उन मामलों में छापेमारी करती है, जहां वित्तीय अनियमितताओं, अवैध लेन-देन या संपत्ति के दुरुपयोग की आशंका होती है। इस तरह की कार्रवाई के बाद संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ, दस्तावेजों की जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है।

फिलहाल, इस मामले में ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

यह पूरा घटनाक्रम एक बार फिर यह दर्शाता है कि देश में आर्थिक अपराधों को लेकर जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं, लेकिन साथ ही यह भी साफ है कि ऐसी कार्रवाईयों का राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक होता है।

अंततः, इस मामले की दिशा अब जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस छापेमारी से कोई ठोस साक्ष्य सामने आते हैं और क्या यह मामला किसी बड़े खुलासे की ओर बढ़ता है या फिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाता है।

धारवाड़ के चर्चित योगेश गौड़ा हत्याकांड में बड़ा फैसला, कांग्रेस विधायक समेत 16 दोषियों को उम्रकैद

बेंगलुरु की विशेष अदालत ने बहुचर्चित भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न केवल कर्नाटक की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद कानून ने आखिरकार अपना काम किया।

इस मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने 15 अप्रैल को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और इसके दो दिन बाद सजा का ऐलान किया। अदालत ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि हत्या एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का परिणाम थी, जिसमें कई लोग शामिल थे और जिनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

यह मामला 15 जून 2016 का है, जब धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता योगेश गौड़ा की उनके ही जिम में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। यह घटना उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी का कारण बनी थी। दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और राजनीतिक तनाव भी बढ़ा दिया था। घटना के तुरंत बाद धारवाड़ के उपनगरीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी गई। सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या, सबूतों को नष्ट करने

और आरोपियों को बचाने के लिए लोक सेवकों द्वारा कानून का उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए। एजेंसी ने अदालत में मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र दायर किया, जिसके आधार पर मुकदमा आगे बढ़ा।

जांच के दौरान सीबीआई ने 5 नवंबर 2020 को विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में 11 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी। लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। मुकदमे के दौरान गवाहों को प्रभावित करने और उनसे संपर्क करने के प्रयासों के विश्वसनीय प्रमाण सामने आने के बाद जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद उन्हें फिर से हिरासत में लिया गया और मुकदमे की सुनवाई तेज गति से आगे बढ़ी।

अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई महत्वपूर्ण गवाहों और साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिनके आधार पर आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई। मई 2023 में आरोप तय किए गए थे और इसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही। अंततः अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपियों ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया।

इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। एक ओर जहां भाजपा इसे न्याय की जीत बता रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक मौजूदा विधायक को दोषी ठहराया गया है, जो राजनीतिक जवाबदेही के मुद्दे को और भी गंभीर बना देता है।

कानूनी दृष्टि से यह फैसला इस बात का संकेत है कि चाहे मामला कितना भी पुराना या जटिल क्यों न हो, यदि जांच और साक्ष्य मजबूत हों, तो न्याय मिलना संभव है। लगभग नौ वर्षों तक चले इस मामले में कई उतार-चढ़ाव आए, लेकिन अंततः अदालत ने अपना फैसला सुनाकर यह स्पष्ट कर दिया कि कानून के सामने सभी समान हैं।

स्थानीय स्तर पर भी इस फैसले का असर देखने को मिल रहा है। धारवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने इसे एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। कई लोगों का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के मामलों में त्वरित न्याय की आवश्यकता है, ताकि पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।

यह फैसला केवल एक आपराधिक मामले का अंत नहीं, बल्कि एक संदेश भी है—कि अपराध चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न करे, कानून की पकड़ से बच पाना संभव नहीं है। यह निर्णय आने वाले समय में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जहां राजनीतिक और आपराधिक तत्व एक साथ जुड़े होते हैं।

अंततः, योगेश गौड़ा हत्याकांड का यह फैसला न्यायपालिका की उस भूमिका को रेखांकित करता है, जो समाज में संतुलन और न्याय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह घटना और इसका परिणाम दोनों ही इस बात की याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है और उसकी प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन उसका परिणाम निर्णायक होता है।

संपादकीय

कार्यस्थल पर भयावह

देश की एक प्रमुख आईटी कंपनी की नासिक शाखा में यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयासों के चौंकाने वाले आरोप परेशान करने वाले हैं। निस्संदेह, यह प्रकरण बेहद गंभीर है और इन आरोपों ने कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे नजरअंदाज किए जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दे पर फिर देश का ध्यान आकर्षित किया है। यह आरोप है कि पुरुष कर्मचारियों का एक समूह महिला सहकर्मियों को निशाना बनाने के लिए एक 'संगठित गिरोह' की तरह काम कर रहा था। निश्चित रूप से यह घटनाक्रम कंपनी प्रबंधन की उस घोर लापरवाही को ही उजागर करता है जिस के चलते समय रहते इस तरह के यौन उत्पीड़न व धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर अंकुश नहीं लग सका। यह विडंबना ही है कि मानव संसाधन प्रबंधक ने कथित तौर पर पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से यह कहकर रोका कि –'ऐसी चीजें होती रहती हैं।' आक्षेप लगाया गया है कि इस प्रकरण में आरोपी का ही पक्ष लिया गया। निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम कॉर्पोरेट जगत में व्याप्त विद्रूपताओं और एक गहरी तथा व्यापक विफलता की ओर ही इशारा करता है। जबकि दावा यह किया जाता रहा है कि कॉर्पोरेट जगत की प्राथमिकता कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चत करना है। इसमें दो राय नहीं है कि जब यौन उत्पीड़न रोकथाम ढांचे को लागू करने के लिये जिम्मेदार उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर दुर्व्यवहार को सामान्य या मामूली बात समझने का आरोप लगता है, तो सारे संस्थागत सुरक्षा उपाय ध्वस्त हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से यह एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है, जब पीड़ित महिला कर्मचारी को न केवल अपराधियों द्वारा बल्कि उनकी सुरक्षा का दायित्व संभालने वालों द्वारा भी चुप कराने के प्रयास किये जाते हैं। एक बार फिर से पुलिस के हस्तक्षेप और परामर्श के बाद ही कई पीड़ित महिला कर्मचारियों ने आगे आने का साहस जुटाया है। जिसके बाद ही मामले में प्राथमिकी दर्ज हो पायी है। बहरहाल, इस दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण को लेकर एक असहज करने वाला प्रश्न यह उठता है कि क्यों भय, सामाजिक कलंक अथवा संस्थागत उदासीनता के कारण देश भर के विभिन्न कार्यस्थलों में ऐसे कितने ही यौन उत्पीड़न के मामले उजागर नहीं हो पाते हैं? इसमें दो राय नहीं कि इस मामले में जांच बिना किसी पुर्वाग्रह के आगे बढ़नी चाहिए। निर्विवाद रूप से आईटी कंपनी के नासिक प्रकरण में सांप्रदायिक या राजनीतिक रंग देने का प्रयास इस संकट की मूल चिंताओं को धूमिल करने का जोखिम जरूर पैदा कर सकता है। निस्संदेह, ऐसी घटनाओं को धार्मिक या वैचारिक नजरिये से देखना कॉर्पोरेट जवाबदेही और लैंगिक संवेदनशीलता वाले सुधारों की तत्काल आवश्यकता से ध्यान भटका सकता है। इस संवेदनशील विषय पर नजर रखने वाले तर्क देते हैं कि उत्पीड़न को संप्रदाय विशेष के अपराध के रूप में देखने के बजाय, इसे एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकार के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी संस्थान में पारदर्शिता और प्रवर्तन की कमी वाले वातावरण में ही पनपता है। इस विचलित करने वाले प्रकरण में अधिकारियों की प्रतिक्रिया, जिसमें एक विशेष जांच दल का गठन भी शामिल है, स्वागत योग्य है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में महिला आयोग द्वारा भी एक स्वतंत्र जांच की जा रही है, जो कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। हालांकि, कॉर्पोरेट जगत से जुड़े कार्यालयों में स्थायी परिवर्तन तभी संभव होगा जब कंपनियां ऐसे मामलों में 'शून्य सहिष्णुता' की घोषणा करेंगी। इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी कि कार्यालयों में ऐसा निर्भयतापूर्ण वातावरण तैयार किया जाए कि कोई भी महिला कर्मचारी बिना डर के बोलने के लिये सशक्त बन सके। उन्हें सशक्त बनाने के लिये आंतरिक तंत्र को सक्रिय रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि कंपनियों का शीर्ष प्रबंधन गाहे-बगाहे यह पड़ताल करता रहे कि सर्वाधिकार प्राप्त कोई अधिकारी असीमित अधिकारों की आड़ में उत्पीड़न के अपवित्र खेल में शामिल तो नहीं है। एक पारदर्शी व सतर्क व्यवस्था भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकती है।

आम की सोच को बौना बनाती 'खास संस्कृति'

> "पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की सरकार ने विशिष्ट 'संस्कृति' वाली मानसिकता के खिलाफ आदेश दिया है कि मंत्रियों की कारों के काफिले नहीं चलेंगे, उनकी कारें सायरन नहीं बजाएंगी, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा। बच्चे, चाहे वे मंत्री के हों या अफसर के, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे।

खबर मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची रोड पर हुई एक सड़क-दुर्घटना की है। इस दुर्घटना में एक पत्रकार की मृत्यु हो गयी। बताया जा रहा है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिल पायी, अन्यथा पत्रकार की शायद जान बच सकती थी। इस तरह की कोई अनोखी घटना नहीं है यह। अक्सर होता रहता है ऐसा। अक्सर आम आदमी को एंबुलेंस-सेवा का समय पर लाभ नहीं मिल पाता। अक्सर मंत्रियों की कारों के काफिले सायरन बजाते, धूल उड़ाते आम आदमी को अंगूठा दिखाते, सड़कों पर आगे निकल जाते हैं। लाल और नीली बत्तियों वाले यह काफिले उस संस्कृति का एक चेहरा हैं जिसे आम बोल-चाल की भाषा में 'वीआईपी कल्चर' यानी विशिष्ट लोगों की व्यवस्था कहा जाता है।

राजनीति में इस व्यवस्था का चेहरा अक्सर दिख जाता है। मंत्रियों के कारों को किसी रुकावट का सामना न करना पड़े, इसके लिए आम जनता की कारें कहीं भी, और कभी भी, रोकी जा सकती हैं। सुरक्षा के नाम पर ऐसी व्यवस्था की गयी है कि किसी मंत्री की कार को 'अकेले' कहीं आना-जाना न पड़े। उनकी गाड़ी के आगे भी गाड़ियां होती हैं, पीछे भी। माना जाता है इससे शासक का रुतबा बढ़ता है!

इसी रुतबे का नाम है वीआईपी कल्चर यानी विशिष्ट जनों वाली राजनीतिक संस्कृति। इस संस्कृति की पहचान सिर्फ कारों का काफिला नहीं होती। 'बड़े लोग' कई-कई तरीकों से अपना बड़ा होना सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं।

Advertisement

कथित बड़े लोगों के बच्चे सरकारी अस्पतालों में नहीं पैदा होते। उनके लिए शानदार और महंगे अस्पताल हैं। यह बच्चे सरकारी स्कूलों में भी नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल तो आम आदमी के लिए होते हैं। आम आदमियों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल हैं जहां न बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होती है न ठीक-ठाक दिखने वाले स्कूली इमारत की। अक्सर ऐसे खस्ता हाल स्कूलों के बारे में समाचार छपते, प्रसारित होते रहते हैं, पर स्थिति में कोई परिवर्तन आता नहीं दिखता। सरकारी अफसरों, राजनेताओं, पैसे वालों के बच्चों के लिए वीआईपी कल्चर में खास स्कूल होते हैं। खास यानी महंगे। हां, इनका महंगा होना इनकी पहली पहचान और खासियत है। माना जाता है कि इन महंगे स्कूलों की पढ़ाई भी अच्छी होती है। इस अच्छेपन की परिभाषा भी अलग-अलग होती है। एक परिभाषा यह है कि इन स्कूलों की इमारतें शानदार हों, यहां पढ़ने वाले बच्चे कारों या टैक्सियों में आयें, अच्छे कपड़े पहने हों। कक्षाएं एयरकंडीशन्ड हों। यहां पढ़ाई जाने वाली किताबें भी महंगी होती हैं और पढ़ाने वाले अध्यापक भी!

देखा जाये तो सांची रोड पर होने वाली सड़क दुर्घटना में इस महंगी शिक्षा यानी, वीआईपी कल्चर का कोई सीधा संबंध नहीं दिखता, पर रिश्ता है। यह रिश्ता आदमी को आम और खास आदमी में बांटने वाला है। खास यानी जिसके लिए खास व्यवस्था हो। आम वर्ग की तुलना में यह खास वर्ग बहुत छोटा है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा माना जाता है। विडंबना यह है कि यह छोटा वर्ग समाज की सोच पर हावी ही नहीं रहता, लगातार इस कोशिश में भी रहता है कि उसका प्रभाव बड़ा हो ही नहीं, बड़ा दिखे भी। बड़ा दिखने की यह लालसा ही 'वीआईपी कल्चर' को जन्म देती, उसे पालती-पोसती है। मजे की बात यह है कि इस लालसा की अक्सर आलोचना होती है, इसे समाप्त करने के वादे और दावे भी किये जाते हैं, पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं दिखता। दिखना चाहिए।

हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की नयी सरकार ने एक रास्ता दिखाया है इस विशिष्ट 'संस्कृति' वाली मानसिकता को समाप्त करने का। इसी मार्च, 2026 में वहां चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव आया है वहां की राजनीति में। देश के नये और युवा प्रधानमंत्री, 36 वर्षीय बालेन शाह, ने दशकों पुराने राजनीतिक दलों का वर्चस्व ही समाप्त नहीं किया, एक समतावादी राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने का संकल्प भी लिया है। देश में आदेश जारी कर दिया गया है कि मंत्रियों की कारों के काफिले नहीं चलेंगे, सड़कों पर दौड़ती उनकी कारें सायरन नहीं बजाएंगी, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला चाहे कोई भी हो, उसके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब नेपाल में बच्चे, चाहे वे मंत्री के हों या संत्री के, सामान्य कर्मचारियों के अथवा किसी अफसर के, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और यदि सफल हो जाता है तो छोटा-सा देश नेपाल समतावादी समाज की रचना की दिशा में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

अक्सर इस तरह की लोक-लुभावन घोषणाएं शासक-वर्ग करता है। हमारे देश में भी कई बार इस तरह की घोषणाएं होती रही हैं, पर देखा यह भी गया है कि जल्दी ही घोषणाएं भुला दी जाती हैं। कुछ साल पहले ही जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो बड़े जोर-शोर से यह घोषणा हुई थी कि आम आदमी पार्टी के मंत्री बड़ी-बड़ी कारों में नहीं चलेंगे, बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे। उनके बच्चे आम सरकारी स्कूलों में शिक्षा पायेंगे, उनके इलाज सरकारी अस्पतालों में होंगे। पर जल्दी ही इन घोषणाओं का मुल्लम्मा उतर गया। मंत्री बड़े-बड़े बंगलों में पहुंच गये, तीन कमरों के मकान में रहने वाले मुख्यमंत्री के लिए 'शीशमहल' बन गया। लालबत्ती वाली कारों के काफिले सड़कों पर दौड़ने लगे। पार्टी का नाम भले ही आम आदमी से जुड़ा हो, पर सरकार 'खास संस्कृति' वाली ही बनी रही। आवश्यकता है इस खास संस्कृति की मानसिकता के खिलाफ उठ खड़े होने की। सही मायनों में बीमार है यह मानसिकता। यह मानसिकता आम आदमी की सोच को बौना बनाती है। इसी बौनेपन का एक उदाहरण यह है कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं और महंगे निजी स्कूल कुकुरमुत्तों की तरह उग रहे हैं, फल-फूल रहे हैं। शहरों में ही नहीं, गांवों तक में 'इंटरनेशनल' स्कूल खुल रहे हैं! इस इंटरनेशनल का क्या मतलब है, यह वही जानें, पर यह जानना हम सबके लिए ज़रूरी है कि यह 'वीआईपी कल्चर' हमारे समाज को भीतर ही भीतर खोखला बना रहा है। सवाल सिर्फ आर्थिक विषमता का ही नहीं है, सामाजिक विषमता के चलते टुकड़ों में बंटता चला जा रहा है हमारा समाज। इस बंटवारे को रोकना ही होगा।

इस दिशा में हमारे पड़ोसी देश नेपाल की कोशिशें आश्वासन देने वाली हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह कोशिशें सफल होंगी। ऐसी कोई भी सफलता हमारे लिए मार्ग-दर्शन का काम कर सकती हैं। हमें सीखना ही होगा कि प्रधानमंत्री के काफिले के पास से किसी एंबुलेंस को गुजार देना मात्र ही वीआईपी संस्कृति का नकार नहीं है। समता का दर्शन हमारी सोच का एक आधार बनना चाहिए। मंत्रियों को अहसास होना चाहिए कि लालबत्ती वाली कारों के काफिले उन्हें बड़ा नहीं बनाते, बड़ा उन्हें यह सोच बनायेगी कि वे एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो मनुष्य की समानता और एकता में विश्वास करता है। और आम नागरिक को भी यह समझना होगा कि बड़ा होने और बड़ा दिखने में अंतर होता है। लालबत्ती वाली संस्कृति हमें बड़ा नहीं, छोटा बनाती है। यह हमें तय करना है कि हम छोटा बनना चाहते हैं या बड़ा।

प्रेरणा

मौन महानता का रहस्य और अहंकार का भ्रम

एक शांत, निर्मल और स्थिर सरोवर में खिला हुआ कमल केवल प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह मनुष्य के भीतर छिपे उस भाव का दर्पण था, जो अवसर मिलते ही स्वयं को सर्वोच्च मान बैठता है। कमल ने अपनी कोमल पंखुड़ियों को फैलाकर जब स्वयं को देखा, तो उसे लगा कि इस संसार में उससे अधिक सुंदर, पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। उसकी दृष्टि केवल अपने ऊपर केंद्रित हो गई और इसी केंद्रित दृष्टि ने उसके भीतर एक ऐसा गर्व उत्पन्न कर दिया, जिसने उसे वास्तविकता से दूर कर दिया। उसने दिशाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे उसका नमन करें, क्योंकि वह श्रेष्ठता का प्रतीक है। यह कथन केवल एक फूल का नहीं, बल्कि उस मनोवृत्ति का प्रतीक था, जिसमें व्यक्ति अपनी सीमाओं को भूलकर स्वयं को ही केंद्र मान लेता है।

कमल का यह आत्ममुग्ध भाव केवल उसके भीतर ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने प्रकृति के अन्य तत्वों को भी प्रभावित किया। आकाश में स्थित सूर्य, जो अपने तेज और ऊर्जा के कारण समस्त जीवन का आधार है, उसने भी कमल की बात सुनकर अपनी भूमिका का बखान करना शुरू कर दिया। सूर्य ने कहा कि यदि वह न होता, तो कमल का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। यह कथन सत्य के करीब था, लेकिन जिस शैली में यह कहा गया, उसमें भी वही अहंकार छिपा हुआ था। यह स्थिति यह दर्शाती है कि कभी-कभी जो वास्तव में शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होते हैं, वे भी अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए शब्दों का सहारा लेने लगते हैं, और यहीं से उनकी गरिमा में कमी आ जाती है।

जब दिशाओं ने इन दोनों के संवाद को सुना, तो वे मुस्कुरा उठीं। उनकी मुस्कान में व्यंग्य भी था और एक गहरी समझ भी। उन्होंने कहा कि जो वास्तव में महान होता है, उसे अपने वर्चस्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने अस्तित्व में ही इतना पूर्ण होता है कि लोग स्वतः उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह कथन जीवन के उस शाश्वत सत्य को उजागर करता है, जिसे समझने में मनुष्य अक्सर चूक जाता है। हम अपनी उपलब्धियों, अपने ज्ञान और अपनी शक्ति को बार-बार प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविक महानता कभी प्रदर्शन की मोहताज नहीं होती।

आज के समय में यह प्रवृत्ति और भी अधिक दिखाई देती है। व्यक्ति अपने हर छोटे-बड़े कार्य को इस तरह प्रस्तुत करता है, मानो वही उसकी पहचान का आधार हो। सोशल मीडिया के युग में यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गई है, जहां लोग अपने जीवन के हर पहलू को दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक गहरी असुरक्षा भी छिपी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति वास्तव में आत्मविश्वासी होता है, उसे अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि उसका मूल्य उसके भीतर है, न कि बाहरी प्रशंसा में।

कमल और सूर्य की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार का जन्म तब होता है, जब हम अपने अस्तित्व को संपूर्णता में नहीं देख पाते। कमल यह भूल गया कि उसकी सुंदरता उस जल, उस मिट्टी और उस वातावरण का परिणाम है, जिसमें वह पनपा है। सूर्य भी यह भूल गया कि उसकी शक्ति भी एक व्यापक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा है। जब हम केवल अपने योगदान को देखते हैं और दूसरों के योगदान को नजरअंदाज कर देते हैं, तब हमारे भीतर अहंकार उत्पन्न होता है।

वास्तविकता यह है कि इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर परिस्थिति एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम इस जुड़ाव को समझते हैं, तब हमारे भीतर विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है। विनम्रता हमें यह सिखाती है कि हम अपने गुणों को स्वीकार करें, लेकिन उनके कारण दूसरों को छोटा न समझें। यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने अस्तित्व को एक व्यापक संदर्भ में देखें, जहां हर किसी का अपना महत्व है।

सच्ची महानता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह दूसरों को प्रेरित करती है, न कि उन्हें दबाती है। जो व्यक्ति वास्तव में महान होता है, वह अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बनता है। वह अपने वर्चस्व को सिद्ध करने के लिए किसी से नमन की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि उसका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि लोग स्वतः ही उसे सम्मान देते हैं। यह सम्मान स्थायी होता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों पर आधारित होता है।

इस कथा का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। सच्चा धर्म, सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति कभी शोर नहीं करते। वे शांत, स्थिर और गहरे होते हैं। जब कोई व्यक्ति वास्तव में धर्म को समझता है, तो वह उसे प्रचारित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसका जीवन ही उसका संदेश बन जाता है। लोग उसके व्यवहार, उसके विचार और उसके आचरण से प्रेरित होते हैं, न कि उसके शब्दों से।

आज के युग में यह समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं, जहां बाहरी सफलता को ही सब कुछ मान लिया गया है। लोग यह भूल जाते हैं कि सफलता का वास्तविक अर्थ केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि वह संतुलन और शांति है, जो हमारे भीतर होती है। जब हम इस संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें अपने वर्चस्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती।

अंततः, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अहंकार के स्थान पर विनम्रता को स्थान देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां केवल हमारी नहीं हैं, बल्कि वे उन सभी परिस्थितियों और लोगों का परिणाम हैं, जिन्होंने हमें उस स्थान तक पहुंचाया है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तब हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन उत्पन्न होता है।

यही वह अवस्था है, जहां सच्ची गरिमा जन्म लेती है। यह गरिमा किसी बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब हम इस गरिमा को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। यही वास्तविक वर्चस्व है, जो बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रदर्शन के, चुपचाप अपने अस्तित्व से ही सब कुछ कह देता है।

विरोध के खोखले तर्क

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक को जब पहली बार प्रस्तुत किया गया था, तब इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। वर्षों से लंबित इस मांग को आखिरकार मूर्त रूप मिला और संसद ने 2023 में सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया। उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक स्वर में इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी निर्णय बताया था। लेकिन अब, जब इस विधेयक को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और वही विपक्ष, जिसने पहले इसका समर्थन किया था, अब इसके विभिन्न पहलुओं पर सवाल खड़े कर रहा है।

यह स्थिति केवल राजनीतिक मतभेदों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इस बात को भी दर्शाती है कि हमारे देश में कई बार मुद्दों पर सहमति केवल सैद्धांतिक स्तर तक सीमित रह जाती है। जब उन्हें व्यवहार में उतारने की बारी आती है, तब राजनीतिक हित और रणनीतियां हावी हो जाती हैं। 2023 में विपक्ष का मुख्य तर्क यह था कि महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। उस समय उन्होंने यह सवाल उठाया था कि आखिर इसे परिसीमन और जनगणना जैसी प्रक्रियाओं से क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब, जब सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो वही विपक्ष यह कह रहा है कि परिसीमन नई जनगणना के आधार पर होना चाहिए, जिससे स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में देरी होगी।

इस विरोधाभास को समझना कठिन नहीं है। दरअसल, राजनीतिक दल अपने-अपने हितों और संभावित चुनावी परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपने रुख बदलते हैं। महिला आरक्षण का मुद्दा भी इससे अछूता नहीं है। कुछ विपक्षी दल अब यह मांग कर रहे हैं कि महिला आरक्षण के भीतर भी आरक्षण होना चाहिए, यानी पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाओं के लिए अलग कोटा तय किया जाए। यह मांग पहली नजर में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप लग सकती है, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि जब 2023 में यह विधेयक पारित हो रहा था, तब इस मांग को उतनी जोर-शोर से क्यों नहीं उठाया गया।

इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू सीटों के पुनर्विन्यास यानी परिसीमन का है। कुछ दल यह आशंका जता रहे हैं कि नई सीटों के निर्धारण से दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान होगा और उत्तर भारत के राज्यों को लाभ मिलेगा। लेकिन यदि तथ्यों पर नजर डालें, तो यह तर्क बहुत ठोस नहीं लगता। यदि किसी राज्य में सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उसका सीधा संबंध जनसंख्या और भौगोलिक संतुलन से होता है, न कि किसी विशेष क्षेत्र को लाभ या हानि पहुंचाने की नीति से। उदाहरण के तौर पर यदि बिहार में सीटें बढ़ती हैं, तो तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी समान अनुपात में वृद्धि होती है।

इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि कम जनसंख्या वाले राज्यों में एक सांसद को अपेक्षाकृत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है, जिससे वह अपने क्षेत्र में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। ऐसे में यह कहना कि महिला आरक्षण से दक्षिण भारत को नुकसान होगा, एक प्रकार का राजनीतिक प्रचार अधिक प्रतीत होता है, न कि तथ्य आधारित विश्लेषण।

विपक्ष का एक अन्य तर्क यह भी है कि इस आरक्षण से सत्तारूढ़ दल, विशेषकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को चुनावी लाभ मिलेगा। लेकिन यह तर्क भी पूरी तरह ठोस आधार पर खड़ा नहीं दिखता। लोकतंत्र में चुनाव परिणाम कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे उम्मीदवार की छवि, पार्टी की नीतियां, स्थानीय मुद्दे और जनसमर्थन। केवल आरक्षण के आधार पर किसी एक दल के पक्ष में परिणाम तय हो जाएंगे, यह मान लेना राजनीतिक यथार्थ से परे है।

वास्तव में, महिला आरक्षण का मूल उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में अधिक प्रतिनिधित्व देना है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में महिलाओं की भागीदारी लंबे समय से अपेक्षाकृत कम रही है। जबकि वे समाज का लगभग आधा हिस्सा हैं, फिर भी नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में उनकी उपस्थिति सीमित रही है। ऐसे में यह विधेयक केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है।

महिला आरक्षण से यह उम्मीद की जाती है कि अधिक महिलाएं राजनीति में आएंगी, जिससे न केवल उनकी आवाज मजबूत होगी, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को भी अधिक संवेदनशीलता के साथ उठाया जा सकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर महिलाओं का दृष्टिकोण अक्सर अधिक व्यापक और समावेशी होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त अवसर मिले।

लेकिन इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या हम वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर हैं, या फिर इसे केवल राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि विपक्षी दल वास्तव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें इस विधेयक के क्रियान्वयन में बाधा डालने के बजाय इसे और बेहतर बनाने के सुझाव देने चाहिए। वे यह बता सकते हैं कि किस प्रकार आरक्षण के भीतर आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, या फिर किस तरह परिसीमन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल की भी जिम्मेदारी है कि वह इस विधेयक को केवल एक राजनीतिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय इसे एक सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाए। महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए केवल सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभा सकें। अंततः, यह कहना गलत नहीं होगा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह अवसर केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने का है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर एकजुट हों और इसे सफल बनाने में योगदान दें। क्योंकि यदि यह पहल सफल होती है, तो इसका लाभ केवल महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को मिलेगा।

अभियान

जहां शक्ति, भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम की तपस्या एक साथ जीवित है

भारत की आध्यात्मिक धरोहर में कुछ ऐसे स्थल हैं, जो केवल धार्मिक आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, पुराण और दिव्यता के संगम स्थल बन जाते हैं। चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ ऐसा ही एक पवित्र स्थान है, जहां देवी शक्ति की आराधना के साथ-साथ भगवान राम की तपस्या की स्मृतियां आज भी जीवंत महसूस होती हैं। यह स्थान उन 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, जिनका संबंध माता सती के शरीर के अंगों से जुड़ा हुआ है, और साथ ही यह वह भूमि भी है जहां त्रेता युग में भगवान राम ने अपने वनवास का महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया था।

शक्तिपीठों की कथा भारतीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। जब राजा दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव शोक में उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उस समय सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये अंग जहां-जहां गिरे, वहां-वहां दिव्य शक्ति का संचार हुआ और वे स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ उसी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे शिवानी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है।

मान्यता है कि इस पावन स्थान पर माता सती का दायां स्तन गिरा था। यह अंग मातृत्व, पोषण और करुणा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यहां स्थापित देवी को 'शिवानी' के रूप में पूजा जाता है। यहां भगवान शिव भैरव रूप में 'चंड' नाम से विराजमान हैं, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी सशक्त बनाते हैं। इस शक्तिपीठ का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और धार्मिक महत्व को प्रमाणित करता है।

चित्रकूट का महत्व केवल शक्तिपीठ होने तक सीमित नहीं है। यह वह भूमि है, जहां भगवान श्रीराम ने अपने वनवास का एक बड़ा हिस्सा बिताया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के लगभग साढ़े ग्यारह वर्ष चित्रकूट में बिताए थे। यह वही स्थान है, जहां उन्होंने राजसी सुख-सुविधाओं को त्यागकर साधना, त्याग और मर्यादा का जीवन जिया। इसी दौरान भगवान राम ने इस शक्तिपीठ में देवी की पूजा-अर्चना की, जिससे इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया।

चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता इस स्थान की दिव्यता को और भी बढ़ा देती है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र हरे-भरे वन, शांत पहाड़ियों और निर्मल जलधाराओं से घिरा हुआ है। यहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस स्थान पर पहुंचता है, उसे एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। मंदाकिनी के तट पर बैठकर जब कोई भक्त ध्यान करता है या आरती में सम्मिलित होता है, तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वह त्रेता युग की उस दिव्य लीला का साक्षी बन रहा हो।

रामगिरी शक्तिपीठ का एक महत्वपूर्ण पहलू यहां मनाए जाने वाले धार्मिक उत्सव हैं। रामनवमी के अवसर पर यहां विशेष आयोजन होते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस दिन भगवान राम के जन्मोत्सव के साथ-साथ देवी शिवानी की पूजा-अर्चना भी की जाती है। पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से ओत-प्रोत हो जाता है। यहां की संध्या आरती, जिसमें दीपों की पंक्तियां मंदाकिनी के जल में झिलमिलाती हैं, हर किसी के मन को मंत्रमुग्ध कर देती है।

हालांकि इस शक्तिपीठ को लेकर कुछ मतभेद भी देखने को मिलते हैं। कुछ श्रद्धालु मध्य प्रदेश के मैहर शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं, जबकि कुछ लोग चित्रकूट के इस स्थान को ही वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यह मतभेद भारतीय आस्था की विविधता को दर्शाता है, जहां एक ही विश्वास के कई रूप और परंपराएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद, चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ अपनी ऐतिहासिकता और आध्यात्मिकता के कारण विशेष महत्व रखता है।

इस स्थान के बारे में यह मान्यता भी प्रचलित है कि यहां के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लोग यहां केवल धार्मिक अनुष्ठान करने नहीं आते, बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने भी आते हैं। इस शक्तिपीठ की दिव्य ऊर्जा उन्हें एक नई शक्ति, एक नई दिशा और एक नई आशा प्रदान करती है।

चित्रकूट का यह शक्तिपीठ हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब भगवान राम जैसे आदर्श पुरुष भी यहां आकर देवी की आराधना करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति की उपासना हर युग में और हर परिस्थिति में आवश्यक रही है। यह हमें यह भी सिखाता है कि चाहे हम कितने भी महान क्यों न हों, हमें अपने जीवन में एक उच्च शक्ति के प्रति श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए।

आज के आधुनिक युग में, जहां जीवन की गति तेज हो गई है और मनुष्य अपने ही बनाए हुए तनावों में उलझा हुआ है, ऐसे में चित्रकूट जैसे स्थान हमें एक ठहराव देते हैं। यह हमें यह याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। यह शक्तिपीठ हमें उसी दिशा में प्रेरित करता है और हमें हमारे भीतर की शक्ति से परिचित कराता है।

अंततः, चित्रकूट का रामगिरी शक्तिपीठ केवल एक मंदिर या तीर्थ नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। यहां आकर व्यक्ति केवल देवी के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर के उस दिव्य तत्व को भी अनुभव करता है, जो उसे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की शक्ति देता है। यह स्थान हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को समझने की प्रेरणा देता है और भविष्य के लिए एक सकारात्मक मार्ग दिखाता है। यही इस शक्तिपीठ की वास्तविक महिमा है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो इसे सदियों से श्रद्धालुओं के हृदय में विशेष स्थान दिलाती आ रही है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

सूरत में नकली खाद्य पदार्थों का काला व्यापार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जिससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। यह अब पूरे भारत में हो रहा है। असली के नाम पर नकली सामान का व्यापार आम बात नहीं है। बल्कि यह जनता को स्वस्थ रखने की बजाय, लोगों को बीमार करने और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की एक सुनियोजित साजिश है। असली खाद्य पदार्थों में असली का स्वाद मिलाकर उन्हें असली जैसा दिखाने वाले नकली खाद्य पदार्थों को डिब्बों या पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके, उन्हीं के लोगो, निशान और रंग की स्याही से बाजार में उतारा जाता है। इसी नकली सामान की बात करें तो, हाल ही में, कुछ दिन पहले, मथुरा सीमा पर सरकारी अधिकारियों ने कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और जेल भेज दिया। वे दो-तीन पानी से भरे टैंकरों में यूरिया खाद और एक निश्चित मात्रा में रसायन मिलाकर दूध को असली दूध जैसा बना रहे थे।

यह पूरे देश में चर्चा का विषय है, लेकिन अगर हम सिर्फ सूरत की बात करें तो ऐसा लगता है कि सूरत अब नकली खाद्य पदार्थों का गढ़ बनता जा रहा है। क्योंकि एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर छापा मारा है। यह जानकर कोई भी आम नागरिक चौंक जाएगा। "सबका फूड्स" के नाम से चल रही इस फैक्ट्री में 15 किलो नकली "विदुर घी" बनाया जा रहा था, जिसमें सिर्फ 1 किलो शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा था और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा था।

देखिए, असली उत्पादों के नाम पर हज़ारों किलो नकली घी, नकली पनीर और नकली दूध बिकने की खबरें सामने आई हैं। अब सवाल उठता है कि जब सूरत समेत पूरे राज्य में इतने सारे नकली खाद्य पदार्थ फैले हुए हैं, तो सरकारी व्यवस्था में इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए ज़िम्मेदार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य अधिकारी क्या कर रहे हैं? वे इस काले धंधे पर आंखें क्यों मूंद रहे हैं और उदासीनता क्यों दिखा रहे हैं? या उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? यही सोचने वाली बात है। इस पूरे नकली सामान के नेटवर्क के पीछे कोई बहुत ही शातिर खिलाड़ी ज़रूर होगा जो पर्दे के पीछे से

इन नए खिलाड़ियों को पूरी हिदायतें दे रहा है। यह शातिर खिलाड़ी पहले भी नकली सामान के धंधे में शामिल होने के आरोप में जेल जा चुका है और ज़मानत पर रिहा हो चुका है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वह पर्दे के पीछे से ऐसे ही खेल खेलता रहता है, यही वजह है कि नकली सामान का यह रैकेट फल-

फूल रहा है।

इस प्रकार, ग्राहकों को धोखा देने के लिए डिब्बों पर आकर्षक स्टिकर और मार्केटिंग के हथकंडे अपनाए गए। इन हथकंडों में, असली कंपनी के डिब्बों या सुमूल, अमूल, मधुरम आदि प्रसिद्ध डेयरी के असली पॉलीथीन पाउच को असली की तरह पैक करके, लोगो, कीमत आदि से मेल खाते हुए जनता को ठगा जाता था। इन प्रसिद्ध डेयरी के विक्रेताओं को ऊँचा कमीशन देकर, वे नकली सामान को असली बताकर प्रसिद्ध दुकानों में कम दामों पर बेचते थे, जिससे असली सामान की बिक्री को भी नुकसान होता था। दक्षिण गुजरात के कई व्यापारी, जो इस तरह का सामान खरीदते थे, इस नेटवर्क के सीधे संपर्क में थे और वर्षों से जनता को जहर परोस रहे थे। फिर यहाँ सवाल उठता है कि शहर के श्रमिक क्षेत्रों में, जहाँ श्रमिक आबादी रहती है और जो पहले से ही भीड़भाड़ वाले हैं, कई स्वस्थ और बीमार लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दुकानदारों पर भरोसा करते हैं और इन नकली सामानों को असली समझकर महंगे दामों पर खरीदते हैं। इस तरह वे गरीब लोग अनजाने में बीमारी को न्योता देते हैं। इसी तरह, जब कोई गरीब महिला अपने शरीर को ताकत और पोषण देने के लिए इस नकली घी या नकली पनीर का सेवन करती है, तो वह ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाती है। आधुनिक मशीनों के कारण अब पैकेजिंग में भी उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे उत्पाद, जिन्हें इस तरह पैक किया जाता है कि कोई भी व्यापारी असली डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग देखकर उन्हें पहचान न पाए, जाने-माने एजेंटों द्वारा बाजार में उतारे जा रहे हैं, जिससे प्रसिद्ध डेयरी कंपनियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है।

पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें नकली घी को एक-दो किलो के डिब्बों में भरकर मशहूर डेयरियों में तस्करी करके पहुंचाया गया है। हाल ही में सचिन जीआईडीसी में पकड़ी गई नकली घी फैक्ट्री की मासिक आय मात्र 15 से 20 लाख रुपये थी। ज़रा सोचिए, ऐसे राष्ट्रविरोधी तत्व जो जनता के स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं, उन्हें मौत के कगार पर धकेल रहे हैं, और ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं कि एक कसाई भी अच्छा कहलाए, उन्हें किसी का डर क्यों नहीं है?

जनता के स्वास्थ्य की बात हो तो ऐसे तत्व भगवान को भी नहीं छोड़ते, तो फिर इंसान को कैसे छोड़ेंगे? और इन काले व्यापारियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? कारण यह है कि इस मामले को देखने के लिए जिम्मेदार सरकारी व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और जिम्मेदार मंत्री शामिल हैं। लेन-देन की राजनीति के चलते शहर में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में ऐसे फर्जी खेल चल रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सूरत शहर से हैं और जब उनकी आँखों के सामने नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री हो रही है, तो किसे दोषी ठहराया जाए? सूरत नगर निगम में जिम्मेदार अधिकारियों की कमी है। सूरत नगर निगम में स्वास्थ्य एवं अस्पताल उपायुक्त का पद स्वीकृत होने के बावजूद, जो शहर की जनता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, एक साल से अधिक समय से खाली पड़ा है और व्यवस्था इसे भरने में भी विफल रही है। इस बीच, लोग नकली खाद्य पदार्थों को बेचकर मालामाल हो रहे हैं। ऐसे तत्वों को चीन या सऊदी अरब जैसे देशों की तरह तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, इतनी कड़ी सजा कि वे फर्जी खबरों को ना कहना भी भूल जाएं, लेकिन पहल कौन करेगा?

पश्चिम रेलवे का सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच जम्बो ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा ट्रैक, सिगनलिंग तथा ओवरहेड उपकरणों के रख-रखाव हेतु रविवार, 19 अप्रैल, 2026 को सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर 10:00 बजे से 15:00 बजे तक पाँच घंटे का जम्बो ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ब्लॉक अवधि के दौरान फास्ट लाइन की सभी उपनगरीय ट्रेनें सांताक्रुज एवं गोरेगाँव स्टेशनों के बीच धीमी लाइन पर चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इस ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जबकि कुछ बोरीवली एवं अंधेरी सेवाएं गोरेगाँव तक हार्बर लाइन पर चलाई जाएंगी। प्रभावित सेवाओं की विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के सभी स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

सूरत नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा-कांग्रेस-आप के बीच टकराव, स्थानीय मुद्दों को लेकर मतदाताओं में भारी असंतोष

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम चुनाव नजदीक आने के साथ ही भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कुछ वार्डों में भाजपा का दबदबा है और कुछ वार्डों में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जिससे भाजपा विशेष रूप से चिंतित है। एक तरफ भाजपा विकास के खोखले वादे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं को कड़ाही में गंदे पानी की तरह गंदगी दिखाई जा रही है और पूछा जा रहा है, क्या हम यह पानी पीना चाहते हैं? कई दिनों से सड़कें नहीं बनी हैं, पीने का पानी साफ नहीं है, सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है और गंदगी फैला रहा है। फिर भी अब तक आप कहां थे?

तीनों दलों के उम्मीदवारों से ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे वे परेशान हैं। इसी वजह से इस चुनाव में भाजपा विपक्ष के फॉर्म रद्द करवाकर और निर्विरोध मैदान में उतरकर खुलेआम लोकतंत्र का नाश कर रही है और पूरी ताकत से वोटों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तीनों दलों के उम्मीदवार अपने-अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मानो वे अकेले हों। ऐसे में देखना बाकी है कि सूरत नगर निगम की बागडोर जनता किसे सौंपेगी।

अब तक कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को भाजपा के गढ़ों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इन क्षेत्रों में भाजपा के नेता और मतदाता इतने प्रभावित थे कि उन्होंने भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी का उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। कोट क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन इस गढ़ में भी अब मतभेद दिखने लगे हैं। इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है। लोग महंगाई और स्थानीय मुद्दों को लेकर चिंतित हैं। भाजपा द्वारा हर साल करों में की जाने वाली बढ़ोतरी के कारण वोटों में अंतर आने की आशंका है। कहा जा रहा है कि भाजपा के अलावा अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अब लोग उम्मीदवारों से संपर्क कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा?

पश्चिम रेलवे का वडोदरा मंडल चमका, 2025-26 में राजस्व और सेवाओं में बनाए नए रिकॉर्ड

पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले वडोदरा मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के नेतृत्व में मंडल ने न केवल राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की, बल्कि यात्री सुविधाओं को आधुनिक बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, वडोदरा मंडल ने इस वित्तीय वर्ष में 697.57 करोड़ रुपये का कुल यात्री राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के 638.68 करोड़ रुपये की तुलना में 8.34 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि न केवल बेहतर प्रबंधन का संकेत है, बल्कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार को भी दर्शाती है।

मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेन्द्र कुमार ने बताया कि टिकट चेकिंग से प्राप्त राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025-26 में टिकट जांच से 18.50 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.42 प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि टिकट जांच अभियानों को अधिक सख्ती और प्रभावी तरीके से लागू किया गया।

इसके अलावा, नॉन-फेयर रेवेन्यू के तहत 7.23 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष के 6.92 करोड़ रुपये से 4.47 प्रतिशत अधिक है। वहीं, संड्री (विविध) राजस्व 13.89 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 13.57 करोड़ रुपये था।

अन्य राजस्व स्रोतों में भी वृद्धि देखने को मिली है। पार्किंग से 3.70 करोड़ रुपये की आय हुई, जो पिछले वर्ष 3.33 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं केटरिंग सेवाओं से 2.76 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष के 2.70 करोड़ रुपये से अधिक है। ये आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि मंडल ने आय के विभिन्न स्रोतों को बेहतर तरीके से विकसित किया है।

यात्री संख्या के मामले में भी वडोदरा मंडल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष 50.28 मिलियन यात्रियों ने मंडल की सेवाओं का उपयोग किया, जो पिछले वर्ष के 43.98 मिलियन यात्रियों की तुलना में 14.32 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि दर्शाती है कि यात्रियों का भरोसा रेलवे सेवाओं पर लगातार बढ़ रहा है।

सिर्फ राजस्व ही नहीं, बल्कि सेवा गुणवत्ता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रेल मदद शिकायतों में 112 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है, जबकि शिकायतों के निस्तारण समय में 60 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। यह उपलब्धि यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वडोदरा स्टेशन पर डिजिटल लाउंज की स्थापना की गई है, जो अपनी तरह का अनोखा प्रयास है। यह भारतीय रेलवे में इस प्रकार का दूसरा डिजिटल लाउंज है, जहां यात्रियों को आरामदायक और तकनीक आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, रेल वन ऐप के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मंडल ने सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे यात्रियों को डिजिटल सेवाओं का अधिक लाभ मिल सके। वाणिज्य विभाग की इन उपलब्धियों के पीछे सघन और नियमित टिकट जांच अभियान, क्षेत्रीय पर्यवेक्षण में वृद्धि और सुदृढ़ सतर्कता जैसे कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही, यात्रियों को नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए।

पालघर एवं उमरोली स्टेशनों के बीच गर्डर डी-लॉन्चिंग कार्य हेतु ब्लॉक

पालघर एवं बोईसर स्टेशनों के बीच स्थित मेसनरी आर्च ब्रिज के स्थान पर बॉक्स पुशिंग कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे द्वारा पालघर एवं उमरोली स्टेशनों के बीच आरएच गर्डर के डी-लॉन्चिंग हेतु 18 अप्रैल, 2026 को एक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक डाउन लाइन पर पालघर एवं उमरोली स्टेशनों के बीच 18 अप्रैल, 2026 को 02:10 बजे से 05:10 बजे तक लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 18/19 अप्रैल, 2026 की मध्यरात्रि में 23:15 बजे से 02:15 बजे तक अप एवं डाउन दोनों लाइनों पर भी ब्लॉक लिया जाएगा। इन ब्लॉकों के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त, शॉर्ट टर्मिनेट तथा रेगुलेट की जाएंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

18 अप्रैल, 2026 को यात्रा प्रारंभ करनेवाली निरस्त ट्रेनें:

1.दहानू रोड से 22:45 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93042 दहानू रोड – विरार मेमू पूर्णतः निरस्त रहेगी।

2.विरार से 21:05 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 93039 विरार – दहानू रोड मेमू पूर्णतः निरस्त रहेगी।

3.विरार से 22:50 बजे प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 69173 विरार – दहानू रोड मेमू पूर्णतः निरस्त रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेट होने वाली ट्रेनें:

1.18 अप्रैल, 2026 को सूरत से 16:45 बजे प्रस्थान यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19102 सूरत – विरार एक्सप्रेस दहानू रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी।

18 अप्रैल, 2026 को रेगुलेट होने वाली ट्रेनें:

1.ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस – बरौनी अवध एक्सप्रेस 55 मिनट रेगुलेट होगी।

2.ट्रेन संख्या 19425 बोरीवली – नंदुरबार एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।

3.ट्रेन संख्या 12267 मुंबई सेंट्रल – हापा दुरंतो एक्सप्रेस 25 मिनट रेगुलेट होगी।

4.ट्रेन संख्या 22923 बांद्रा टर्मिनस – जामनगर हमसफर एक्सप्रेस 30 मिनट रेगुलेट होगी।

कच्छ में पानीपुरी बनी आफत, 100 लोग बीमार; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर

कच्छ जिले के लोदाई इलाके में एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया, जब पानीपुरी खाने के बाद करीब 100 लोग अचानक बीमार पड़ गए। उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसी शिकायतों के चलते लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ी और सभी प्रभावितों को भुज के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन घटना ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, लोदाई क्षेत्र में एक ही स्थान पर पानीपुरी खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। शुरुआत में कुछ लोगों को असहज महसूस हुआ, लेकिन देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग एक जैसे लक्षणों से पीड़ित होने लगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई शुरू की।

जिला स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। बीमार लोगों को एंबुलेंस और अन्य साधनों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों का प्राथमिक उपचार शुरू किया और उन्हें निगरानी में रखा गया।

प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि पानीपुरी में इस्तेमाल किए गए पानी या मसालों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। गर्मी के मौसम में खाद्य पदार्थों के जल्दी खराब होने की संभावना अधिक रहती है, खासकर यदि स्वच्छता के मानकों का पालन न किया जाए। इसी कारण फूड पॉइजनिंग के मामले अक्सर इस समय बढ़ जाते हैं।

घटना के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इलाके में खाद्य और पेय पदार्थों

की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। विशेष रूप से बाहर से आने वाले फूड ट्रकों और अस्थायी स्टॉल्स की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी दूषित या असुरक्षित खाद्य पदार्थ लोगों तक न पहुंचे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फूड पॉइजनिंग का सटीक कारण क्या था। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यदि जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सड़क किनारे मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को भी सतर्क रहना चाहिए और केवल स्वच्छ व विश्वसनीय स्थानों से ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए।

साथ ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे नियमित रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करें और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

फिलहाल, कच्छ की इस घटना ने पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है।

बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत ब्लाक के कारण अहमदाबाद मंडल से चलने/गुजरने वाली ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर प्रीकास्टेड पोर्टल बीम की स्थापना हेतु दिनांक 19 अप्रैल 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेगी।

शॉर्ट टर्मिनेशन / ओरिजिनेशन ट्रेनें

▸▸ट्रेन संख्या 20902 गांधीनगर केपिटल–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को 19.04.2026 को अहमदाबाद स्टेशन से प्रारंभ किया जाएगा तथा गांधीनगर केपिटल–अहमदाबाद के बीच निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को 19.04.2026 को वटवा स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) किया जाएगा तथा वटवा–गांधीनगर केपिटल के बीच निरस्त

रहेगी।

निरस्त ट्रेनें (Cancelled Trains)

▸▸ट्रेन संख्या 69102 वटवा–वडोदरा मेमू 19.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा–वटवा मेमू 19.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22959 वडोदरा–जामनगर इंटरसिटी 18.04.2026 को निरस्त रहेगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22960 जामनगर–वडोदरा इंटरसिटी 19.04.2026 को निरस्त रहेगी।

आंशिक निरस्त (Partial Cancellation)

▸▸ट्रेन संख्या 19033 वलसाड़–अहमदाबाद गुजरात क्वीन 19.04.2026 को वडोदरा–अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

विनियमन (Regulation of Trains)

▸▸ट्रेन संख्या 19484 आसनसोल–अहमदाबाद एक्सप्रेस 19.04.2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा–अहमदाबाद एक्सप्रेस 19.04.2026 को वडोदरा मंडल में 1 घंटा 40 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸ट्रेन संख्या 22718 सिकंदराबाद–राजकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस : दिनांक 19.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 45 मिनट रेगुलेट की जाएगी।

▸▸यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य अद्यतन जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय,अहमदाबाद में पक्षियों के लिए जलपात्र वितरण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर "सेव अर्थ" अभियान के अंतर्गत दिनांक 17.04.2026 को मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय, परिसर में एक सराहनीय पर्यावरणीय पहल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के मार्गदर्शन में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ एवं उनकी टीम के सहयोग से मिट्टी के बर्तनों (जलपात्रों) का वितरण किया। इन जलपात्रों का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान पक्षियों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे हमारे पंख वाले मित्रों को राहत मिल सके।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि "प्रकृति का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

बढ़ती गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयास न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं।

यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं समाज को प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध है।

इस कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल सहित मंडल के अन्य अधिकारी एवं रेल कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी उपस्थित जनों ने पर्यावरण संरक्षण एवं पक्षियों की सुरक्षा हेतु सामूहिक संकल्प भी लिया।

ड्राई स्टेट गुजरात में भी नियमों के साथ मिलती है शराब की छूट, जानिए परमिट सिस्टम का पूरा सच

गुजरात को देश का "ड्राई स्टेट" कहा जाता है, जहां शराब की बिक्री और सेवन पर सख्त प्रतिबंध लागू है। यह प्रतिबंध केवल कानून तक सीमित नहीं, बल्कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। बावजूद इसके, राज्य सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित और सीमित छूट देने के लिए एक व्यवस्थित परमिट सिस्टम लागू किया हुआ है। यही कारण है कि सख्त नियमों के बीच भी कुछ शर्तों को पूरा करने वाले लोग कानूनी रूप से शराब का सेवन कर सकते हैं।

गुजरात में शराब को लेकर नियम बेहद स्पष्ट और कड़े हैं। बिना अनुमति शराब खरीदना, बेचना या पीना कानूनन अपराध है और इसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार ने यह भी समझा है कि कुछ परिस्थितियों में पूरी तरह प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं होता, इसलिए एक नियंत्रित व्यवस्था के तहत परमिट जारी किए जाते हैं। इस परमिट सिस्टम के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि शराब का सेवन केवल तय नियमों के भीतर ही हो और उसका दुरुपयोग न हो।

राज्य में शराब पीने के लिए अलग-अलग प्रकार के परमिट जारी किए जाते हैं, जिनमें सबसे चर्चित हेल्थ परमिट है। यह परमिट मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है, जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है और जिनकी मासिक आय कम से कम 25,000 रुपये है। इसके साथ ही उन्हें एक वैध मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होता है, जिसमें यह उल्लेख हो कि स्वास्थ्य कारणों से सीमित मात्रा में शराब का सेवन आवश्यक है। यह नियम दर्शाता है कि सरकार इस छूट को एक विशेषाधिकार के रूप में देखती है, न कि सामान्य अधिकार के रूप में।

गुजरात में कुल सात प्रकार के शराब परमिट उपलब्ध हैं, जिनमें हर एक की अपनी अलग शर्तें और उद्देश्य हैं। हेल्थ परमिट के अलावा टूरिस्ट परमिट भी एक महत्वपूर्ण श्रेणी है, जो विदेशी पर्यटकों को दिया जाता है। यह परमिट उन्हें सीमित मात्रा में शराब खरीदने और सेवन करने की अनुमति देता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होता है। इसी तरह, अन्य भारतीय राज्यों से आने वाले लोगों के लिए विज़िटर परमिट की व्यवस्था है, जिससे वे अपने प्रवास के दौरान सीमित मात्रा में शराब का सेवन कर सकते हैं।

मेडिकल परमिट उन लोगों के लिए है, जिन्हें डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य कारणों से शराब लेने की सलाह दी जाती है। यह परमिट हेल्थ परमिट से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आय और उम्र से ज्यादा मेडिकल आवश्यकता को महत्व दिया जाता है। वहीं, स्पेशल परमिट विशेष अवसरों या परिस्थितियों में जारी किया जाता है, जैसे किसी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम या विशेष आयोजन के दौरान।

हाल के वर्षों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, जब GIFT City में काम करने वाले कर्मचारियों को

सीमित छूट दी गई। 2023 में लागू नियमों के तहत यहां के कर्मचारियों और कुछ अधिकृत संस्थानों को नियंत्रित तरीके से शराब सेवन की अनुमति दी गई है। यह कदम राज्य को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, राज्य में कुछ चुनिंदा होटलों और रेस्टोरेंट्स को भी परमिट दिया जाता है, जिसके तहत वे सीमित मात्रा में शराब परोस सकते हैं। यह व्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटकों और व्यावसायिक यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई गई है। हालांकि, यहां भी नियम बेहद सख्त हैं और केवल अधिकृत स्थानों पर ही शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।

अस्थायी यानी टेम्परारी परमिट की व्यवस्था भी गुजरात में लागू है, जो उन लोगों के लिए होती है, जो सीमित समय के लिए राज्य में आते हैं। यह परमिट आमतौर पर एक महीने के लिए वैध होता है और इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। इस परमिट के तहत भी शराब की मात्रा और खरीद के स्थान को लेकर स्पष्ट नियम निर्धारित किए गए हैं।

यहां यह समझना जरूरी है कि परमिट मिलने के बाद भी व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती। वह केवल सरकार द्वारा अधिकृत दुकानों से ही शराब खरीद सकता है और निर्धारित सीमा के भीतर ही उसका सेवन कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इसमें परमिट रद्द करना, जुर्माना लगाना और यहां तक कि कानूनी कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

गुजरात सरकार इस पूरे सिस्टम की कड़ी निगरानी करती है। आधुनिक तकनीक और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति नियमों का दुरुपयोग न कर सके। यह व्यवस्था एक संतुलन बनाने का प्रयास है, जहां एक ओर सामाजिक मूल्यों और प्रतिबंधों को बनाए रखा जाता है, वहीं दूसरी ओर आवश्यक परिस्थितियों में सीमित छूट भी दी जाती है।

हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर समय-समय पर बहस भी होती रही है। कुछ लोग इसे व्यावहारिक और संतुलित मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे असमानता पैदा होती है, क्योंकि हर व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता। विशेष रूप से आय और उम्र से जुड़ी शर्तें कई लोगों के लिए बाधा बन जाती हैं।

इसके बावजूद, यह कहना गलत नहीं होगा कि गुजरात का यह परमिट सिस्टम देश में अपनी तरह का अनोखा मॉडल है। यह दिखाता है कि कैसे एक राज्य सख्त कानूनों के साथ-साथ व्यवहारिक जरूरतों को भी ध्यान में रख सकता है।

अंततः, गुजरात में शराब को लेकर लागू यह व्यवस्था केवल नियमों का ढांचा नहीं, बल्कि एक सोच का प्रतिनिधित्व करती है—जहां अनुशासन, नियंत्रण और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी जाती है। जो लोग इन नियमों को समझकर और उनका पालन करते हुए इस व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, वे ही इस सीमित छूट का लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि "ड्राई स्टेट" होने के बावजूद गुजरात में एक नियंत्रित और कानूनी रास्ते के जरिए शराब सेवन संभव है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए, जो इसके लिए निर्धारित हर शर्त को पूरा करते हैं।

सूरत में स्टडेड डायमंड ज्वेलरी मीट से चमका वैश्विक व्यापार, GJEPC पहल रही सफल

सूरत ने एक बार फिर वैश्विक हीरा और ज्वेलरी उद्योग में अपनी मजबूत पहचान का प्रदर्शन किया, जब जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित स्टडेड डायमंड ज्वेलरी खरीदार-विक्रेता मिलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 13 और 14 अप्रैल 2026 को आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का प्रीव्यू और उद्घाटन सत्र 12 अप्रैल को रखा गया, जिसने पूरे आयोजन को एक व्यवस्थित और पेशेवर दिशा प्रदान की।

यह आयोजन कई मायनों में खास रहा, क्योंकि इसे विशेष रूप से स्टडेड डायमंड ज्वेलरी सेगमेंट पर केंद्रित किया गया था। कार्यक्रम में प्राकृतिक और लैब-ग्रोन दोनों प्रकार के हीरों से बनी ज्वेलरी को शामिल किया गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि उद्योग बदलते समय के साथ नई तकनीकों और मांगों के अनुरूप खुद को ढाल रहा है।

जीजेईपीसी सूरत के अध्यक्ष जय सावलीया ने बताया कि यह अपनी तरह की पहली पहल थी, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय खरीदारों और भारतीय निर्माताओं के बीच सीधा और प्रभावी संवाद स्थापित करना था। इस आयोजन में 16 भारतीय प्रदर्शकों के साथ रूस, अमेरिका, ब्राजील,

बुल्गारिया, कोलंबिया और पोलैंड जैसे देशों से आए 17 अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने भाग लिया। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि सूरत का ज्वेलरी उद्योग वैश्विक बाजार में लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है।

कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत 'प्रीव्यू डे' रही, जिसमें शोकेस बूथों के जरिए खरीदारों और विक्रेताओं को एक-दूसरे के उत्पादों और आवश्यकताओं को समझने का मौका मिला। इस पहल ने पारंपरिक प्रदर्शनी मॉडल से हटकर अधिक इंटरैक्टिव और परिणामोन्मुखी संवाद को बढ़ावा दिया।

इसके अलावा, फैक्ट्री विज़िट इस आयोजन का मुख्य आकर्षण साबित हुई। एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के तहत दो दिनों में सभी 16 फैक्ट्रियों का दौरा कराया गया, जहां अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने सूरत की आधुनिक उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं को नजदीक से देखा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ी, बल्कि खरीदारों का विश्वास भी मजबूत हुआ।

सूरत को दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोसेसिंग हब माना जाता है, जहां वैश्विक स्तर पर पॉलिश किए जाने वाले हीरों का बड़ा हिस्सा तैयार होता है। ऐसे आयोजनों के जरिए शहर की इस पहचान को और मजबूती मिलती है। साथ ही, यह पहल छोटे और मध्यम स्तर के निर्माताओं को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के खरीदार-विक्रेता मिलन कार्यक्रम न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि उद्योग में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देते हैं। खासकर ऐसे समय में, जब वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, इस प्रकार के सीधे संवाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

इस आयोजन ने यह भी दिखाया कि भारतीय ज्वेलरी उद्योग अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग और नेटवर्किंग में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कुल मिलाकर, यह पहल सूरत के डायमंड और ज्वेलरी हब के रूप में बढ़ते महत्व को और मजबूत करने वाली साबित हुई है। आने वाले समय में इस तरह के और आयोजनों की उम्मीद की जा रही है, जो भारत के इस महत्वपूर्ण उद्योग को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे।

अलवर में ममता हुई शर्मसार, चार साल की मासूम की हत्या के बाद मां ने खुद को किया घायल

अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में शुक्रवार सुबह सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक मां द्वारा अपनी ही चार साल की मासूम बेटी की हत्या करने और उसके बाद खुद को गंभीर रूप से घायल कर लेने की खबर ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस घटना ने न केवल एक परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि समाज को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों और कैसे बनती हैं। जानकारी के अनुसार, मृत बच्ची की पहचान गरीमा सैनी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मां शीला सैनी ने पहले अपनी बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या की और उसके बाद खुद के दोनों हाथ धारदार हथियार से काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह परिवार के लोग बच्चों को स्कूल के लिए जगाने पहुंचे।

बताया जा रहा है कि सुबह करीब छह बजे बच्ची के ताऊ सूरज सैनी ने कई बार आवाज लगाई। जब दरवाजा खोला गया, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। बच्ची अचेत अवस्था में

पड़ी थी, जबकि मां गंभीर रूप से घायल थी और उसके हाथों से खून बह रहा था। बच्ची के गले पर भी स्पष्ट निशान थे, जिससे घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

परिजनों ने तत्काल दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं, मां की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है।

घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजेश मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी जुटाई। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके।

इस मामले में बच्ची के ताऊ सूरज सैनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थीं, जिनके चलते मां ने इतना भयावह कदम उठाया।

फिलहाल इस घटना के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं—घरेलू विवाद, मानसिक तनाव या अन्य संभावित कारणों—को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आसपास के लोगों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता को भी उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार अत्यधिक तनाव, अवसाद या पारिवारिक दबाव व्यक्ति को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता है, जो सामान्य परिस्थितियों में अकल्पनीय होते हैं।

समाज में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केवल कानून व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और समय पर सहायता भी बेहद जरूरी है। परिवार और समाज को ऐसे संकेतों को पहचानने और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने के लिए संवेदनशील होना होगा।

फिलहाल, पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। एक मासूम की मौत ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया है। पुलिस जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस दर्दनाक घटना के पीछे के असली कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है।

नादौती में एसीबी का बड़ा ट्रैप, SDM काजल मीणा समेत तीन गिरफ्तार; दफ्तर से 4 लाख नकद बरामद

नादौती उपखंड में सामने आए इस बड़े रिश्वतकांड ने न केवल स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार के जाल को लेकर नई बहस छेड़ दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई इस सटीक और सुनियोजित कार्रवाई में एसडीएम काजल मीणा, उनके रीडर दिनेश कुमार सैनी और यूडीसी प्रवीण धाकड़ को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जिसने सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पूरा मामला एक आम नागरिक की शिकायत से शुरू हुआ, जिसने एसीबी को बताया कि जमीन के तकसीम यानी बंटवारे के मामले में अंतिम डिक्री जारी करने के बदले उससे मोटी रिश्वत मांगी जा रही है। आरोप है कि शुरुआत में एक लाख रुपये की मांग रखी गई थी, जो बाद में 'सेटिंग' के तहत 50 हजार रुपये पर तय हुई। लेकिन यह रकम भी अकेले किसी कर्मचारी की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में बंटी हुई थी—50 हजार रुपये एसडीएम के लिए और 10 हजार रुपये रीडर के हिस्से के रूप में तय किए गए थे। एसीबी ने इस शिकायत को हल्के में नहीं लिया। पहले गुप्त रूप से सत्यापन किया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एक विस्तृत ट्रैप प्लान तैयार किया गया। परिवादी को निर्देश दिया गया कि वह तय समय पर उपखंड कार्यालय पहुंचे और आरोपियों को रिश्वत की रकम

सौंपे। जैसे ही रीडर दिनेश सैनी ने 60 हजार रुपये की राशि ली और उसे यूडीसी प्रवीण धाकड़ को सौंपा, एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया।

कार्रवाई के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने इस मामले को और गंभीर बना दिया। प्रवीण धाकड़ के बैग से न केवल रिश्वत की रकम बरामद हुई, बल्कि अतिरिक्त 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी मिली। प्रारंभिक तौर पर इसे 'दिनभर का कलेक्शन' माना जा रहा है, जिससे यह आशंका और मजबूत होती है कि यह कोई एकल घटना नहीं, बल्कि एक नियमित रूप से चल रहा भ्रष्टाचार का तंत्र हो सकता है।

इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व ज्ञान सिंह चौधरी ने किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायत की पुष्टि के बाद ही ट्रैप बिछाया गया और पूरी टीम ने सटीक समय पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। एसीबी अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हो सकता है। स्थानीय स्तर पर इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। नागरिकों का कहना है कि नादौती क्षेत्र में लंबे समय से सरकारी जमीनों पर अवैध खनन और अन्य गतिविधियां जारी हैं, जिनमें अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जाती रही है। ऐसे में यह गिरफ्तारी केवल एक मामले तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि कई पुराने मामलों की परतें भी खोल सकती है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि उपखंड स्तर पर एसडीएम का पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। भूमि, राजस्व और प्रशासनिक निर्णयों में उनकी भूमिका निर्णायक होती है। ऐसे में यदि उसी पद पर बैठा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो इसका असर सीधे आम जनता के विश्वास पर पड़ता है। लोग न्याय और पारदर्शिता की उम्मीद लेकर प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन जब वहीं रिश्वतखोरी सामने आती है, तो व्यवस्था की साख पर गहरा आघात लगता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में केवल गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम की जांच जरूरी होती है। यह समझना जरूरी है कि क्या यह व्यक्तिगत लालच का मामला है या फिर एक संगठित नेटवर्क, जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल हैं। यदि ऐसा नेटवर्क सामने आता है, तो यह राज्य स्तर पर बड़े सुधारों की मांग को जन्म दे सकता है।

एसीबी की इस कार्रवाई को एक मजबूत संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। हालांकि, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो, ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके।

फिलहाल तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और उनके बैंक खातों, संपत्तियों और पिछले मामलों की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह की वसूली पहले भी की जाती रही है और इससे जुड़े अन्य लोग कौन हैं।

आने वाले दिनों में यह मामला और बड़े खुलासों की ओर बढ़ सकता है। यदि जांच में बड़े नेटवर्क की पुष्टि होती है, तो यह सिर्फ नादौती ही नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल, इस कार्रवाई ने यह जरूर साबित कर दिया है कि यदि शिकायतकर्ता साहस दिखाए और एजेंसियां सक्रिय हों, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई संभव है।

सोना-चांदी के वायदा में परस्पर विरुद्ध चालः सोना वायदा 282 रुपये नरम, चांदी वायदा में 4860 रुपये का सुधारः क्रूड ऑयल 251 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 10 से 16 अप्रैल के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 3584219.15 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 232611.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 3351605.81 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का अप्रैल वायदा 37273 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में सप्ताह के दौरान कुल प्रीमियम टर्नओवर 49696.35 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 137703.49 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 152685 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 155065 रुपये के उच्च और 151255 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 153434 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 282 रुपये या 0.18 फीसदी की नरमी के साथ 153152 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 180 रुपये या 0.15 फीसदी औंधकर 122239 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल अप्रैल वायदा 9 रुपये या 0.06 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 15323 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 150905 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 153500 रुपये के उच्च और 149733 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 310 रुपये या 0.2 फीसदी लुढ़ककर 151762 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। गोल्ड-टेन अप्रैल वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 151567 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 154332 रुपये के उच्च और 150058 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 152366 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 277 रुपये या 0.18 फीसदी की गिरावट के साथ 152089 रुपये प्रति

कमोडिटी वायदाओं में 232611 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 3351605 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 137703 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37273 पॉइंट के स्तर पर

10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 242515 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 255735 रुपये और नीचे में 236452 रुपये पर पहुंचकर, 243768 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4860 रुपये या 1.99 फीसदी बढ़कर 248628 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 4259 रुपये या 1.73 फीसदी की तेजी के संग 250195 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4438 रुपये या 1.81 फीसदी तेज होकर सप्ताह के अंत में यह कॉन्ट्रैक्ट 250300 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

मेटल वर्ग में सप्ताह के दौरान 32981.20 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 75.75 रुपये या 6.35 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 1268.7 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता अप्रैल वायदा 9.4 रुपये या 2.84 फीसदी की मजबूती के साथ सप्ताह के अंत में 340.25 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम अप्रैल वायदा 18.6 रुपये या 5.25 फीसदी बढ़कर 372.85 रुपये प्रति किलो के भाव पर सप्ताह के अंत में बंद हुआ। जबकि सीसा अप्रैल वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी घटकर सप्ताह के अंत में 194.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में सप्ताह के दारन 61906.39 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा 8516 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 9075 रुपये और नीचे में 8243 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 251 रुपये या 3.02 फीसदी की तेजी के संग 8576 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 251 रुपये या 3.02 फीसदी की बढ़त के साथ 8574 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस अप्रैल वायदा 251.6 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 255.9 रुपये और नीचे में 240.4 रुपये पर पहुंचकर, 250.6 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 4 रुपये या 1.6 फीसदी गिरकर 246.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी अप्रैल वायदा सप्ताह के अंत में 4 रुपये या 1.6 फीसदी लुढ़ककर 246.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में सप्ताह के दौरान मेंथा ऑयल अप्रैल वायदा 1002 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 13.7 रुपये या 1.37 फीसदी औंधकर 984.9 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 81392.54 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 56310.95 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 25635.33 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4645.07 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 106.83 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 2437.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 45339.42 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 16387.81 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 14.15 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन के वायदाओं में 4.02 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 7864 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35545 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 13052 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 160756 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 29163 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 5899 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 14159 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 53742 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 9405 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 35831 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स अप्रैल वायदा सप्ताह के आरंभ में 36696 पॉइंट पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 37396 के उच्च और 36696 के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 920 पॉइंट बढ़कर 37273 पॉइंट के स्तर पर बंद हुआ।